



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938

No. 562]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 628(अ).— भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. 173 का.आ. 187(अ), तारीख 19-01-2017, हिंदी पाठ के पृष्ठ 10, पंक्ति 35 में “26. बेलदार/बेलदार” के स्थान पर “26. बेलदार/बेलदार (कैंटीन)” पढ़ा जाए। अधिसूचना सं. 173 का.आ. 190 (अ), तारीख 19-01-2017, हिन्दी पाठ के पृष्ठ 35, पंक्ति 18 में “573.00” के स्थान पर “523.00” पढ़ा जाए।

[फा.सं. एस-32017/01/2016-डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू)]

के. एम. गुप्ता, ज्येष्ठ श्रम व रोजगार सलाहकार